न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 71/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
तीजोदेवी पत्नी छोगाराम जाति मेघवाल निवासी खिंदारा गांव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. बगदाराम पुत्र जीवाराम मेघवाल निवासी लाटाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.) 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सिन्दरू, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 25/2/19

यह निगरानी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिन्दरू गांव का निरीक्षक(भू.अ.) सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जीवा पुत्र केना के हक में जारी विक्रय विलेख संख्या 4807 दिनांक 30.12.1974 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी ने वक्त बहस कथन किया कि वे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, न ही बहस करना चाहते है, जिससे बहस एकतरफा अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई।

वकील अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थिया तीजोदेवी पत्नी छोगाराम निवासी सिन्दरू जिसके हक अधिकार एवं कब्जे की भूमि का निरीक्षक (भू.अ.) सुमेरपुर ने पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विपरीत जाते हुए ग्राम लाटाड़ा के निवासी जीवा पुत्र केना मेघवाल के नाम विक्रय विलेख संख्या 4807 दिनांक 30.12.1974 को जारी कर दिया, जो प्रथम दृष्टया ही विधी विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। अप्रार्थी ग्राम लाटाड़ा का निवासी है, तथा जैर निगरानी पट्टा उसके पिता जीवा के नाम जारी किया गया था, जीवा भी ग्राम लाटाड़ा का ही निवासी था, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए गांव सिन्दरू में रहा था, लेकिन वह ग्राम सिन्दरू का मूल निवासी नहीं था। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत सिन्दरू द्वारा जारी नहीं किया गया, बल्कि निरीक्षक (भू.अ.) सुमेरपुर द्वारा जारी किया गया है तथा पंचायत राज अधिनियम निरीक्षक (भू.अ.) को ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए गए है तथा निरीक्षक (भू.अ.) सुमेरपुर नियमों के विपरीत जाते हुए उक्त शुन्य पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है। विवादित विक्रय विलेख राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 से प्रभावित है तथा पट्टा जारी करने में उक्त नियमों की पालना किया जाना आवश्यक है, जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने में ऐसी कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उक्त पट्टे हेतु न तो अप्रार्थी के पिता ने कोई आवेदन किया, न ही कोई नक्शा बनाया गया, न ही आपत्ती नोटिस जारी किया गया, जबकि उक्त प्रकिया को अपनाए जाने के आज्ञाप्क प्रावधान है। जैर निगरानी विक्रय विलेख से संबंधित किसी भी प्रकार का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 4807 को खारिज फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी विक्रय विलेख भू.अ.निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 बगदाराम के पिता जीवा पुत्र केना के नाम जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत ने जरिए पत्रांक ग्रा.प./64/2017–18 दिनांक 15.09.2017 के अवगत कराया कि जैर निगरानी विक्रय विलेख से संबंधित कोई भी रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त उल्लेख विक्रय विलेख की वैधानिकता को स्वतः ही प्रश्नाकिंत करता है। जिसको पट्टा जारी किया गया वह जीवा पुत्र केना भांबी निवासी सिन्दरू लिखा है, जबकि उक्त व्यक्ति सिन्दरू का निवासी नहीं होकर लाटाड़ा ग्राम का निवासी है। जो सिन्दरू के आस–पास भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम सिन्दरू में जो शख्स रहता ही नहीं है, उसके नाम निःशुल्क विक्रय विलेख जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। इससे विक्रय विलेख की शर्त संख्या 8 का स्पष्ट उलंघ्घन है। शर्त संख्या 8 के अनुसार निःशुक्ल आंवटित भूमि पर आवंटी का दो वर्ष के भीतर मकान व झोंपड़ा बनाना अनिवार्य है। जिसकी पालना नहीं की गई है, न तो आंवटी जीवा पुत्र केना द्वारा आजतक मकान या झोंपड़ा बनाया गया है न हो इसके लिए अवधि आगे बढाये जाने का ही साक्ष्य है तथा आवंटी जीवा के वारिसान न तो सिन्दरू में रहते है न निगरानी भूमि पर काबिज है। जबकि जीवा के वारिसान बगदाराम वगैरा के नोटिस व तामीली रिपोर्ट अनुसार वे आज भी ग्राम लाटाड़ा में ही निवास करते है। जैर निगरानी निःशुल्क आंवटित भूखण्ड पर कब्जा, मकान या झोंपड़ा आज भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निरीक्षक (भू.अ.) सुमेरपुर द्वारा पट्टा संख्या 4807 दिनांक 30.12.1974 जो अप्रार्थी संख्या 1 बगदाराम के पिता जीवा पुत्र केना निवासी सिन्दरू के हक में भूखण्ड बनाप 30 x 45 = 1350 वर्गफीट जारी किया गया, उसे निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली